न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 35/2016/आवेदन 136 एलआरएक्ट

सन्तरा देवी धर्मपत्नि बनवारीलाल मीणा निवासी बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।

– प्रार्थीया

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बाय पंचायत समिति दांतारामगढ (सीकर) राजस्थान

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थीया की ओर सें।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक – 02.08.2022

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ (सीकर) के वर्तमान भू–प्रबंध संक्रियाओं से पूर्व गत ख.नं. 646/1 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा किस्म गोचर खालसा (शासकीय खाते में) दर्ज था एवं ख.नं. 646/2 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी सोयम व ख.नं. 642 रकबा 1 बिस्वा चाही सोयम, ख.नं. 643 रकबा 1 बिस्वा गै.मु.चाह, ख.नं. 644 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 645 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खातेदार द्वारका वल्द घीसा, छीतर वल्द गोपीराम महाजन साकिन देह बहिस्सा बराबर पट्टेदार दर्ज था। (नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2008 से 2027 संलग्न है) वर्तमान भू–प्रबंध संक्रियाओं के पश्चात उक्त गत खसरान के नवीन खसरा नंबर 1414 रकबा 0.03 हैक्टर चाही, तृतीय, ख.नं. 1417 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. चाह, ख. नं. 1418 रकबा 0.01 हैक्टर बंजड, ख.नं. 1419 रकबा 2.85 हैक्टर चाही तृतीय, ख.नं. 1420 रकबा 0.15 हैक्टर, बारानी चतुर्थ द्वारका प्रसाद पुत्र घीसालाल हिस्सा 1/2, नन्दलाल, केदारमल, बनवारीलाल पि. छीतरमल हिस्सा 1/2 कौम महाजन साकिन देह खातेदार अभिलिखित हुआ है। ख.नं. 1421 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म चारागाह, ख.नं. 1422 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु. चाह, ख.नं. 1423 रकबा 1.64 हैक्टर चारागाह, ख.नं. 1429 रकबा 0.32 हैक्टर चारागाह व ख.नं. 1430 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गै.मु. सडक (शासकीय) राजकीय खाते में अभिलिखित हुये है। (नवीन भू–प्रबंध जमाबंदी दिनांक 01.04.1994 से 31.03.

खण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

2014 व तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है) उपरोक्त वर्णित खातेदारान के वारिसान व खातेदारान श्यामसुन्दर पुत्र द्वारकाप्रसाद, नारी देवी पुत्री द्वारका प्रसाद, नन्दलाल, केदारमल, बनवारीलाल पुत्र छीतरमल महाजन का संपूर्ण हिस्सा 3.05 हैक्टर वादीया सन्तरा देवी पत्नि बनवारी लाल मीणा द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र सं. 2012004733 दिनांक 25.10.2012 के द्वारा क्रय किये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 709 दिनांक 05.11.2012 के खातेदार दर्ज हुई है। इसमें से वादीया ने ख.नं. 1419 रकबा 2.85 हैक्टर में से 500 वर्गमीटर भूमि को (प्राधिकृत अधिकारी) श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ से जरिये आदेश क्रमांक 1092–96 दिनांक 16.04.2013 के आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ सपरिवर्तित करवा लिया जिसके नक्शे में ख.नं. 1419/2 अंकित किये गये है। गत भू–प्रबंध से वर्तमान भू–प्रबंध तक मौके पर पहले पूर्व अभिलिखित खातेदार व तत्पश्चात दर्ज हुये खातेदार इसी स्थान पर मौके पर काबिज रहे है। परंतु वर्तमान भू–प्रबंध में लिपिकीय त्रुटिवश जमाबंदी व नक्शे में गत भू–प्रबंध से वर्तमान भू–प्रबंध के अभिलेख तैयार करते वक्त मौके से भिन्न प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी जो निम्नवत है:–

(1) वर्तमान ख.नं. 1419, 1420, 1421 जो कि गत ख.नं. 646/1 व 646/2 से बने है मैं ख.नं. 1420 रकबा 0.15 हैक्टर गोचर का भाग रहा था, को खातेदारी में दर्ज कर दिया गया।

(2) वर्तमान ख.नं. 1423 रकबा 1.64 हैक्टर जो कि गत ख.नं. 246/1 का भाग रहा है नक्शे व मौके अनुसार 1.92 हैक्टर बनता है। जबकि जमाबंदी में 1.64 हैक्टर है। जमाबंदी में दर्ज 1.64 हैक्टर गत व वर्तमान अभिलेख की तुलनात्मक दृष्टि से जमाबंदी में 1.64 हैक्टर सही है, परंतु नक्शे में 0.28 हैक्टर अधिक दर्शित किया गया है।

(3) वर्तमान ख.नं. 1419 रकबा 2.85 हैक्टर जो गत ख.नं. 646/2 का भाग रहा है, खातेदारी भूमि है। ख.नं. 1419 का रकबा नक्शे व मौके अनुसार 2.46 हैक्टर ही बनता है, जबकि खातेदार की खातेदारी में इसका रकबा 2.85 हैक्टर दर्ज कर दिया गया।

वर्तमान ख.नं. 1419, 1420, 1421 तीनों ख.नं. 646/1 व 646/2 से बने है। इस प्रकार नक्शे में 0.39 हैक्टर हिस्सा ख.नं. 1421 में सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है। इस प्रकार ख.नं. 1419 का रकबा 0.39 हैक्टर व ख.नं. 1420 का रकबा 0.15 हैक्टर जो नक्शे में ख.नं. 1421 में सम्मिलित दर्शाया गया है जबकि मौके अनुसार ख.नं. 1419 में स्थित है। इस प्रकार ख.नं. 1420 रकबा 0.15 हैक्टर खातेदारी के स्थान पर गोचर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपरोक्तानुसार 0.39+0.15=0.54 हैक्टर नक्शे में ख.नं. 1419 का भाग है जो ख.नं. 1421 में दर्शाया गया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.15 है0 भूमि को खातेदारी से हटाकर शासकीय गोचर के खाते में व खसरा नम्बर 1419 की भूमि रकबा 0.54 हैक्टर जो कि नक्शे में खसरा नम्बर 1421 में दर्शित है को खसरा नम्बर 1419 में नक्शे में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.15 है0 भूमि को खातेदारी से हटाकर शासकीय गोचर के खाते में व खसरा नम्बर 1419 की भूमि रकबा 0.54 हैक्टर जो कि नक्शे में खसरा नम्बर 1421 में दर्शित है को खसरा नम्बर 1419 में नक्शे में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी बाय अनुसार ग्राम बाय की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में ख.नं. 1414 रकबा 0.03, ख.नं. 1417 रकबा 0.01, ख.नं. 1418 रकबा 0.01, ख.नं. 1420 रकबा 0.15, ख.नं. 1766/1419 रकबा 2.35 किता 5 रकबा 2.55 है. की खातेदारी सन्तरा देवी पत्नि बनवारीलाल जाति मीणा राहिन BRKGB शाखा बाय मूर्तहिन के नाम तथा ख.नं. 1765/1419 रकबा 0.50 है. की खातेदारी विकास अग्रवाल पुत्र ताराचन्द अग्रवाल हि. 3809/10000 जाति महाजन

ड अधिकारी, दांतारामगढ़

सन्तरादेवी पत्नि बनवारीलाल जाति मीणा हि. 6191/10000 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार ख.नं. 1766/1419 का रकबा जमाबन्दी में 2.35 है. दर्ज है परन्तु रकबा बरारी करने पर उक्त खसरे रकबा 2.05 है. हि बनता है अर्थात पुराने ख.नं. 1419 जिसके नये ख.नं. 1765/1419 व 1766/1419 का नक्षा 0.30 है. कम है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ख.नं. 1423 की रकबा बरारी करने पर उसका क्षैत्रफल जमाबन्दी के दर्ज रकबे से 0.30 है. अधिक आता है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार ख.नं. 1419 जो कि ख.नं. 1421 से लगता हुआ है जिसमें से 0.30 है. नक्शे में से कम करते हुए ख.नं. 1419 में बढाने तथा ख.नं. 1423 में से 0.30 कम करते ख.नं. 1421 में बढाने वास्ते नजरी नक्शा अनुसार शुद्व करने बाबत पटवारी हल्का ने अभिशंषा कि है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम बाय प0ह0 बाय की भूमि खसरा 1419 जो कि ख.नं. 1421 से लगता हुआ है जिसमें से 0.30 है. नक्शे में से कम करते हुए ख.नं. 1419 में बढाने तथा ख.नं. 1423 में से 0.30 कम करते ख.नं. 1421 में बढाने वास्ते नजरी नक्शा अनुसार शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/22

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ